राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– पदमपुरा

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 137 सन 2018

अनवान :–

1. रामस्वरूप पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. रोहिताश पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
3. भरतसिह पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
4. रोशनी पुत्री शंकरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 08.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 4 बारानी के खाता संख्या 128/125 की कुल किता 47 की 11.0520हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व मे वादी के दादा नानुराम के दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से कर्ता हिन्दु कर्ताखानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया गया है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार कर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हक हिस्सा है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हकों का त्याग कर दिया गया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हक हिस्सा है जिसेउनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों की ताईद में राजीनामा पेश किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के दादा नानुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है पैतृक सम्पति होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की बहन है ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 4 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया की उसके द्वारा अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादी व प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी काबिल डिक्री है। अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 128/125 की कुल 11.0520हैक्‍ भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– अखरे रूप्ये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक रहन है तो बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

S.Zaidi

शिविर प्रभारी

राजस्व लोक दालत–2018

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

नोहर (हनुमानगढ)

कैम्प कोट–पदमपुरा

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–पदमपुरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. रामस्वरूप पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1 शंकरलाल पुत्र नानुराम जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. रोहिताश पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
3. भरतसिह पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर
4. रोशनी पुत्री शंकरलाल जाति जाट निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 137 सन 2018 निर्णय दिनांक–08.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 128/125 की कुल 11.0520हैक्‍ भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– अखरे रूप्ये पाचं हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे यदि भूमि बैक रहन है तो बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SAZaidi

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–पदमपुरा